भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 2266**

07/08/2026 को उत्तरार्थ

**विषयः खेती की लागत को पूरा करने के लिए वर्तमान न्यूनतम समर्थन मूल्य की पर्याप्तता**

**2266 श्री संदोष कुमार पीः**

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने चालू खरीफ और रबी विपणन मौसम के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित किया है, यदि हाँ, तो विगत पाँच वर्षों के दौरान घोषित किए गए एमएसपी सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने यह आकलन किया है कि प्रचलित एमएसपी खेती की लागत को पूरा करने और धान की खेती करने वाले किसानों, विशेषकर केरल के धान की खेती करने वाले किसानों को लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विगत पाँच वर्षों के दौरान केरल में धान की खरीद और धान की खेती को सहायता प्रदान करने वाली योजनाओं के लिए निर्गत और उपयोग की गई केंद्रीय निधियों का योजना-वार, वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)**

(क) से (ग): सरकार प्रत्येक वर्ष, संबंधित राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की राय पर विचार करने के बाद, 'कृषि लागत और मूल्य आयोग' (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर देश भर की 22 अधिदेशित कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तय करती है।

कृषि लागत योजना के अंतर्गत प्रस्तुत राज्य-वार और फसल-वार लागत अनुमानों का विश्लेषण किया जाता है और 22 अधिदेशित फसलों की खेती/उत्पादन की लागत के अनुमान के लिए सांख्यिकीय तकनीकों का उपयोग किया जाता है। कृषि लागत और मूल्य आयोग अपनी सिफारिशें करते समय उत्पादन की अखिल भारतीय भारित औसत लागत का उपयोग करता है। एमएसपी की सिफारिश करते समय, सीएसीपी विभिन्न कारकों जैसे उत्पादन की लागत, घरेलू और वैश्विक बाजारों में विभिन्न फसलों की समग्र मांग-आपूर्ति की स्थिति, घरेलू और

अंतर्राष्ट्रीय मूल्य, अंतर-फसल मूल्य समानता, कृषि और गैर-कृषि क्षेत्र के बीच व्यापार की शर्तें, शेष अर्थव्यवस्था पर मूल्य नीति का संभावित प्रभाव और उत्पादन लागत पर न्यूनतम 50 प्रतिशत मार्जिन पर विचार करता है।

वर्ष 2018-19 के केंद्रीय बजट में एमएसपी को उत्पादन लागत के कम से कम डेढ़ गुना के स्तर पर रखने के लिए पूर्व-निर्धारित सिद्धांत की घोषणा की गई थी। तदनुसार, सरकार ने वर्ष 2018-19 से सभी अधिदेशित खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए उत्पादन की अखिल भारतीय भारित औसत लागत पर 50 प्रतिशत के न्यूनतम मार्जिन के साथ एमएसपी में वृद्धि की थी। पिछले पांच वर्षों के दौरान घोषित धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (विपणन मौसम-वार) निम्नानुसार है।

**न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) - खरीफ़ मार्केटिंग सीज़न (केएमएस) के अनुसार**

**(₹/क्विंटल)**

| **फ़सल** | **केएमएस 2022-23** | **केएमएस 2023-24** | **केएमएस 2024-25** | **केएमएस 2025-26** | **केएमएस 2026-27** |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| धान (सामान्य) | 2040 | 2183 | 2300 | 2369 | 2441 |
| धान (ग्रेड 'A') | 2060 | 2203 | 2320 | 2389 | 2461 |

धान की खेती करने वाले किसानों को अच्छी आय सुनिश्चित करने के लिए, केरल सरकार भारत सरकार द्वारा तय एमएसपी के अलावा 'स्टेट इंसेंटिव बोनस' (एसआईबी) प्रदान करती है।

सरकार निर्धारित खरीद एजेंसियों के माध्यम से कृषि फसलों की खरीद करने का प्रस्ताव करती है और किसानों के पास अपने उत्पाद को सरकारी एजेंसियों को या खुले बाजार में, जो भी उनके लिए लाभप्रद हो, बेचने का विकल्प होता है। वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान केरल के धान की खेती करने वाले किसानों से खरीद का विवरण और उन्हें भुगतान की गई एमएसपी राशि निम्नानुसार है:

| **केरल (धान)** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **2021-22** | **2022-23** | **2023-24** | **2024-25** | **2025-26** |
| खरीद (एलएमटी में) | 7.48 | 7.31 | 5.59 | 5.63 | 4.74 |
| एमएसपी भुगतान (करोड़ में) | 1466.87 | 1506.24 | 1232.28 | 1306.04 | 1131.99 |

केरल राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन (एनएफएसएम) के चावल घटक के लिए जारी केंद्रीय फंड का विवरण इस प्रकार है:

| राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन | |
|---|---|
| वर्ष | राशि (लाख में) |
| 2021-22 | 22.09 |
| 2022-23 | 13.42 |
| 2023-24 | 0 |
| 2024-25 | 16.56 |
| 2025-26 | 4.09 |

पीएम-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) केंद्र द्वारा प्रायोजित एक योजना है, जिसका मकसद कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों का समग्र विकास करना है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के तहत, राज्यों को अपनी ज़रूरतों, प्राथमिकताओं और कृषि-जलवायु संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार परियोजनाओं/कार्यक्रमों के चयन, योजना की मंज़ूरी और उन्हें लागू करने के लिए लचीलापन और स्वायत्तता दी गई है। आरकेवीवाई-डीपीआर का मकसद राज्यों को कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है। पीएम-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) के तहत पिछले 5 वर्षों में केरल राज्य को जारी किए गए केंद्रीय फंड का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

**अनुबंध**

**दिनांक 07.08.2026 को राज्यसभा में उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2266 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध**

**(₹ करोड़ में)**

| **2021-22** | | |
|---|---|---|
| क्र.सं. | योजना का नाम | जारी की गई राशि |
| 1 | आरकेवीवाई | 50.44 |
| **2022-23** | | |
| क्र.सं. | योजना का नाम | जारी की गई राशि |
| 1 | आरकेवीवाई | 27.88 |
| **2023-24** | | |
| क्र.सं. | योजना का नाम | जारी की गई राशि |
| 1 | आरकेवीवाई डीपीआर | 14.24 |
| 2 | एसएच एंड एफ | 0.07 |
| 3 | आरएडी | 0.05 |
| 4 | पीकेवीवाई | 0.71 |
| 5 | एसएमएएम | 12.87 |
| 6 | पीडीएमसी | 0.32 |
| 7 | कृषि वानिकी | 0.00 |
| | कुल योग | 28.26 |
| **2024-25** | | |
| क्र.सं. | योजना का नाम | जारी की गई राशि |
| 1 | आरकेवीवाई डीपीआर | 17.36 |
| 2 | एसएच एंड एफ | 2.17 |
| 3 | आरएडी | 1.54 |
| 4 | पीकेवीवाई | 3.54 |
| 5 | एसएमएएम | 30.55 |
| 6 | पीडीएमसी | 1.68 |
| 7 | कृषि वानिकी | 0.28 |
| | कुल | 57.12 |
| **2025-26** | | |
| क्र.सं. | योजना का नाम | जारी की गई राशि |
| 1 | आरकेवीवाई डीपीआर | 37.09 |
| 2 | पीडीएमसी | 22.08 |
| 3 | एसएमएएम | 30.84 |
| 4 | पीकेवीवाई | 11.90 |
| 5 | एसएच एंड एफ | 4.53 |
| 6 | आरएडी | 3.96 |
| 7 | कृषि वानिकी | 1.63 |
| | कुल | 112.03 |

*******